रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 1972/वैशाख 1, 1894
No. 124] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 1972/VAISAKHA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st April 1972

G.S.R. 255(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (2) of section 7 and sections 11 and 13 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the following persons as Trustees for the Port of Visakhapatnam, representing labour employed in the port for the period upto the 31st March, 1974, namely:—

1. Shri P. Manavallayya Naidu.
2. Shri M. V. Bhadram.

[No. F. 17-PG(48)/71.]
K. SIVARAJ, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन स्कंध)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1972

सा०का०नि० 255 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7 की उपधारा (2) और धारा 11 और 13 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के

खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को विशाखापटनम पत्तन में, उस पत्तन में नियोजित श्रमिकों का 31 मार्च, 1974 तक की अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासी के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. श्री पी० मानावल्ल या नायडू

 श्री एम०बी० भद्रम

[स० फा० 17—पी० जी० (48)/71]

के० शिवराज, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972